



2026:AHC-LKO:577-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 7375/2019

राम कुमार एवं 4 अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, समाज कल्याण एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विनोद कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

वाद सुना।

यह जनहित याचिका वर्ष 2019 में दायर की गई थी जिसमें गाटा संख्या 483 के बजाय गाटा संख्या 236 पर आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण की मांग की गई थी।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, गाटा संख्या 236 का एक भाग याचिकाकर्ता संख्या 4 के पिता को वृक्षारोपण के लिए आवंटित किया गया था, इसलिए गाटा संख्या 483 पर आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण का निर्णय लिया गया था।

ये मामले पूर्णतः अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। इसलिए हमारे पास इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

तदनुसार, याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

6 जनवरी, 2026

जे.के. दिनकर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।